फर्द अहकाम

(नियम 26)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 7/2009 अनवान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बाली बनाम वनाराम वगैरा अंतर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10-6-2019	पत्रावली पेश हुई। सायल की ओर से ए.पी.पी. उपस्थित। वकील गैर सायल श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध स्केर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि सायल राजाराम पुत्र मोटाजी व अन्य जातिगण सीरवी निवासीगण सणवा जाव बाली द्वारा एक आवेदन पत्र जनमार्ग से अवरोध को हटाने के लिये गैरसायलान वनाराम पुत्र वेलाराम व अन्य जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण सणवा जाव बाली के विरूद्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली के समक्ष पेश किया गया। जिस प्रकरण को थानाधिकारी पुलिस थाना, बाली को जांच के लिये भिजवाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना बाली ने जांच कर प्रतिवेदन इस न्यायालय को भिजवाया। जांच में थानाधिकारी, बाली ने बताया कि बाली में बेरा सणवा की कृषि भूमि खसरा नंबर 3014, 3015, 3020, 3021, 3023, 3024 सायलान व गैर सायलान के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस कृषि भूमि में तमाम खातेदारान् द्वारा प्लौट काट कर मकान बनाये तथा तमाम प्लौटो के बीच 20 फुट का रास्ता आने जाने हेतु छोड रखा है। गैर सायलान द्वारा अपने प्लौट व मकान के पास स्थित रास्ता को रोक कर फाटक लगा दी है। जिससे मौके पर न्यूसेंस है व शांति व्यवस्था भंग होने की पुर्ण संभावना है। अतः धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कार्यवाही हेतु इस्तगासा पेश किया। प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान की ओर से दिनांक 08.03.2017 को जबाव प्रस्तुत कर प्रकरण पक्षकारो के प्राईवेट विवाद का होने तथा आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होने से प्रकरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील गैर सायल श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि उक्त प्रकरण धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो अनुसार चलने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि सायलान व गैर सायलान के संयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसमें सह खातेदारो द्वारा सहमति से मौके पर प्लौट व मकान बना रखे है, कुछ सह खातेदारो द्वारा अपने हिस्से के कृषि प्लौट अजनबी व्यक्तियों को बेचान किये गये है, वे लोग रास्ता की मांग करते है, जिनकी मांग स्वीकार योग्य नहीं हैं। उक्त प्रकरण पुर्ण रूप से पक्षकारो का प्राईवेट/निजी मामला है, जिसमें किसी प्रकार का लोक न्यूसेंस उत्पन्न नहीं है एवं न ही इससे आस पास के लोगो के जीवन को आसन्न संकट उत्पन्न है। जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने खारिज किये जाने की दलील दी गई। ए.पी.पी. द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया, जो यह प्रमाणित करे कि उक्त प्रकरण पक्षकारो का आपसी निजी मामला न होकर पब्लिक न्यूसेंस हो, तथा इससे लोगो के जीवन को आसन्न संकट हो। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् उक्त प्रकरण धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विधि के प्रावधानो अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली (राज.)	

Scanned by CamScanner